उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या : ए-6/ई-1/2021
दिनांक : 13/09/2021

अपर निजी सचिव (उ0प्र0 सचिवालय) परीक्षा–2013

महत्वपूर्ण

(1) इस विज्ञापन के अन्तर्गत आयोग द्वारा केवल उन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन पर विचार किया जायेगा जिन्होंने विज्ञापन सं0–A-6/E-1/2013, दिनांक 13.12.2013 के सापेक्ष आवेदन "Submit" किया था। इस विज्ञापन के सापेक्ष नये आवेदन आमंत्रित नहीं किये जायेंगे। यह विज्ञापन आयोग की वेबसाइट http://uppsc.up.nic.in पर दिनांक–12.10.2021 तक उपलब्ध रहेगा।
(2) विज्ञापन सं0–ए–6/ई–1/2013 दिनांक 13.12.2013 के सापेक्ष आवेदन "Submit" करने वाले अभ्यर्थीगण, रजिस्ट्रेशन नं0 एवं जन्मतिथि अंकित करने के पश्चात दिनांक– 12.10.2021 तक आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिन्टआउट प्राप्त कर लें तथा उसके साथ अपने समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित/राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न कर दिनांक–22.10.2021.सायं 5.00 बजे तक आयोग कार्यालय में हाथो–हाथ/स्पीड–पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के बाद प्राप्त होने वाले अभिलेखो को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग उपर्युक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन लखनऊ/प्रयागराज जनपदों में करेंगे (परिशिष्ट–1)। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र की सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी।
2. रिक्तियों की संख्याः– 176
नोटः– वेतनमान – ₹ 9,300 से ₹ 34,800 ग्रेड वेतन ₹ 4,800 (पद – समूह ''ख'', अराजपत्रित)
3. आरक्षण : उ0प्र0 के अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 के अनुसूचित जन जातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा–उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित तथा उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान शासनादेशों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ0प्र0 के समाज के विकलांग अभ्यर्थियों में से केवल ओ0ए0, ओ0एल0, पी0बी0 तथा पी0डी0 उप श्रेणी के अभ्यर्थी ही पात्र हैं।
नोटः– (1) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट 1(ए) में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (2) उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। (3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। (4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक/पी0एच0 तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
4. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तेः– (केवल आयु में छूट हेतु) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में पुनर्वास के लिए वृद्धि की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या–22/10/1976 –कार्मिक–2–85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तो पर आवेदन कर सकते हैं :–(1) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है। (2) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो। (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अवमुक्त हुआ हो।
5. वैवाहिक प्रास्थितिः– ऐसे विवाहित पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।
6. शैक्षिक अर्हताएं :– ''उत्तर प्रदेश सचिवालय वैयक्तिक सहायक सेवानियमावली 2001 यथा संशोधित (प्रथम संशोधन) नियमावली 2005'' के अनुसार शैक्षिक अर्हताएं निम्नवत हैः–
(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।
(2) हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः न्यूनतम अस्सी शब्द प्रति मिनट और पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है।
(3) निम्नानुसार कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।
(क) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसायटी द्वारा संचालित सर्टीफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटिंग (सी0सी0सी0) के लिए विहित पाठ्यक्रम

या

(ख) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई पाठ्यक्रम।
नोटः– उपर्युक्त (3) (ख) पर उल्लिखित अर्हता की समकक्षता के सम्बन्ध में शासन ने अपने पत्र संख्या–5759/बीस–ई–2–2012–96(5)/2003 टी0सी0 दिनांक 24 जनवरी, 2013 द्वारा यह सूचित किया है कि कम्प्यूटर ज्ञान के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई पाठ्यक्रम का निर्धारण अपेक्षित होने के कारण इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा परिषद के पत्रांकः परिषद–9/722, दिनांक 22 जनवरी, 2013 के माध्यम से प्राप्त कोबसे (काउंसिल फार बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन) द्वारा विधि द्वारा स्थापित मान्य परीक्षा संस्थाओं/शिक्षा बोर्डों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा परीक्षाओं की समकक्षता के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया है कि–

''देश के सभी राज्यों की विधि द्वारा स्थापित माध्यमिक शिक्षा परिषदों द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर की परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के समकक्ष मान्य हैं।

उक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली तथा काउन्सिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन (सी0आई0एस0सी0ई0) नई दिल्ली द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर की परीक्षायें भी मान्य हैं।''

यह भी उल्लेख किया गया है कि निम्नांकित परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं हैं :–

1– हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा संचालित प्रथमा/मध्यमा (विशारद) परीक्षा।
2– बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, दिल्ली की हायर सेकेण्डरी परीक्षा।
3– गुरूकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन मथुरा की अधिकारी परीक्षा।
4– बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन मध्य भारत ग्वालियर द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा।
5– भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारत।
6– भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।
7– बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन की हायर सेकेण्डरी प्राविधिक परीक्षा।
8– माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली की हाईस्कूल परीक्षा।

इस प्रकार कोबसे (काउंसिल फार बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन) द्वारा विधि द्वारा स्थापित मान्य परीक्षा संस्थाओं/शिक्षा बोर्डों की सूची, जिसमें उपर्युक्त अंकित 08 परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं अलग से निर्दिष्ट हैं, जिसे माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं किया गया है, शासन के पत्र के प्रस्तर–3 में निर्दिष्ट सूची के मान्य परीक्षा संस्थाओं/शिक्षा बोर्डों की हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट की परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद की क्रमशः हाईस्कूल अथवा इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं के समकक्ष हैं।

ऐसी स्थिति में उपर्युक्तानुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट के समकक्ष इन मान्य परीक्षा संस्थाओं/शिक्षा बोर्डों में हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के एक अलग विषय के रूप में कम्प्यूटर विषय के पाठ्यक्रम, जो स्पष्ट रूप से इंगित हों (अर्थात्–मार्कशीट/सर्टीफिकेट में कम्प्यूटर विषय के अंक अलग से प्रदर्शित हों), तो वे माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठयक्रम अर्थात् हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में कम्प्यूटर विषय के पाठ्यक्रम के समकक्ष होंगे।
7. आयु सीमाः– (1) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2013 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1973 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1992 के बाद का नहीं होना चाहिए। उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा कुशल खिलाड़ियों एवं उ0प्र0 राज्य के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई 1968 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार उ0प्र0 के विकलांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1958 के पूर्व नहीं होना चाहिए। कुशल खिलाड़ी शासनादेश संख्या–22/21/1983–का–2, दिनांक 28–11–1985 में विहित प्राविधानों के अनुरूप अपने प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर लें और परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें।
(2) उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये सेना में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।
8. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देशः– (1) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से पाँच वर्षों तक के लिये प्रतिवारित किया जा सकता है। (2) आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थियों की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। (3) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (4) परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वप्रमाणित/राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (5) समाज के विकलांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा–2 में उल्लिखित विकलांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा संशोधित सपठित शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2008 जो निर्धारित प्रारूप पर विकलांगता प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हों, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि 13.01.2014 तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। (6) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्रों के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। (7) जो अभ्यर्थी कालान्तर में अर्ह नहीं पाये जायेंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। (8) आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर, आवेदनपत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (9) आयोग आवेदन पत्र की सरसरी जाँच पर अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था, अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी। (10) कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है। (11) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नं., अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। (12) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। (13) ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। (14) अभ्यर्थी OMR उत्तर पत्रक को भरने में केवल काले बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेंसिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। (15) अभ्यर्थी OMR Answer Sheet की सभी प्रविष्टिया, सही–सही भरें। इन्हें रिक्त छोड़ने अथवा त्रुटिपूर्ण भरने की स्थिति में उनकी OMR Answer Sheet का मूल्यांकन आयोग द्वारा नहीं किया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। OMR उत्तर पत्रक में भरी गयी सूचना को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नही जाये। (16) OMR Answer Sheet दो प्रतियों में, एक मूल प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी OMR Answer Sheet की मूल प्रति (Original Copy) अन्तरीक्षक को सौप देगें तथा अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) अपने साथ ले जायेंगे।
(17) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी/कूटरचित किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनो से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरूद्ध आई.पी.सी. की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

सामान्य अनुदेश

1– आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–1ए) पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ0प्र0 राज्य की मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

2– आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि दि0 13 जनवरी 2014 तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

3– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियॉ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र शासनादेश संख्या–453/79–बी–1–15–1 (का) 14–2015 दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

4– किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

5– परीक्षा हेतु जिलों की सूची परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों के प्रारूप परिशिष्ट–1ए पर उपलब्ध है। इसी प्रकार परीक्षा की योजना/पाठ्यक्रम परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट–1

जिन नगरों में परीक्षा आयोजित की जायेगी वह निम्नवत हैः- लखनऊ/प्रयागराज

परिशिष्ट–1ए

<u>उ. प्र. की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/सुपुत्री श्री...................... निवासी ग्राम.................... तहसील................. नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश राज्य की .... जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) /संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रुप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.......................... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के .... ग्राम ....तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पूरा नाम ....

मुहर .... पद का नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी।

<u>उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/सुपुत्री श्री...................... निवासी ग्राम.................. तहसील................. नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश राज्य की ....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.........................पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.......................... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ....तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पूरा नाम ....

मुहर .... पद का नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

<u>उ.प्र. के विकलांगों के लिये प्रमाण-पत्र</u>

<u>CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.</u>

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.......... Date ....

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt/Kum...
son/wife/daughter of Shri .... age.............
sex............... identification mark(S)................................ is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor or cerebral palsy :
- (i) BL-Both legs affected but not arms.
- (ii) BA-Both arms affected
  - (a) Impaired reach (b) Weakness of grip
- (iii) BLA-Both legs and both arms affected
- (iv) OL-One leg affected (right or left)
  - (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic
- (v) OA-One arm affected
  - (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic
- (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
- (vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision :
- (i) B-Blind (ii) PB-Partialy Blind

C. Hearing impairment :
- (i) D-Deaf (ii) PD-Partialy Deaf

(Delete tha category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of .... year...... months.
3. Percentage of disability in his/her case is .... percent.
4. Sh./Smt./Kum... meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

(i)F-can perform work by manipulating with fingers.	Yes/No
(ii) PP- can perform work by pulling and pushing.	Yes/No
(iii) L-can perform work by lifting.	Yes/No
(iv) KC- can perform work by kneeling and crouching.	Yes/No
(v) B-can perform work by bending.	Yes/No
(vi) S-can perform work by sitting.	Yes/No
(vii) ST- can perform work by standing.	Yes/No
(viii) W-can perform work by walking.	Yes/No
(ix) SE-can perform work by seeing.	Yes/No
(x) H-can perform work by hearing/speaking.	Yes/No
(xi) RW- can perform work by reading and writing.	Yes/No

(Dr......................)	(Dr......................)	(Dr.....................)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
		Countersigned by the Medical Superintendent/CMO/HQ Hospital (with seal)

* Strike out which is not applicable.

<u>उ.प्र. लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिको के लिए आरक्षण अनिनियम 1993 (यथा संशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण-पत्र</u>

<u>प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....निवासी...................... ग्राम.................... तहसील................. नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रुप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र)/पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम 1993 (यथा संशोधित) के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .... के आश्रित हैं। हस्ताक्षर ....

स्थान .... पूरा नाम ....

दिनांक .... मुहर ....

जिलाधिकारी ....

सील..............................

<u>कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं</u>

शासनादेश संख्या - 22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

<u>प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारुप - 1</u>

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम .... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये **प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री......................... निवासी..................... पूरा पता .... ने दिनांक ....से दिनांक .... तक................(स्थान का नाम) में आयोजित ....(क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ....स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) ....में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद..............................

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोटः- यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रुप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

<u>प्रारुप - 2</u>

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

(सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) .... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये **प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....................आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..................... निवासी (पूरा पता) .... ने दिनांक ....से दिनांक .... तक .... में (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) ....आयोजित राष्ट्रीय .... में (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र..................... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद...............................

संस्था का नाम ....

पता................................

मुहर ....

नोट :- यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रुप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

<u>प्रारुप - 3</u>

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता मे भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये **प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....................आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री......................... निवासी (पूरा पता) .... विश्वविद्यालय की कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक..................... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय .... (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ....विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन आफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल-कूद .... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद...............................

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोट :- यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रुप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

<u>प्रारुप - 4</u>

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद मे भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक,शिक्षा, उत्तर प्रदेश .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये **प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....................आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..................... निवासी (पूरा पता) .... में ....स्कूल में कक्षा ....के विद्यार्थी ने दिनांक ....से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की .... (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ....स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद...............................

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोट :- यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ़ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा .... द्वारा व्यक्तिगत रुप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

परिशिष्ट–2 (परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम)

(क) हिन्दी आशुलेखन में अपर निजी सचिव पद हेतु 80 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे उक्त निर्धारित गति में 05 मिनट की अवधि में बोले गए हिन्दी गद्यांश का टाइपराइटर द्वारा लिप्यान्तरण करें जिसके लिए उन्हें एक घंटे का समय दिया जाएगा। गद्यांश का चयन इस दृष्टिकोण से किया जाएगा कि उससे न केवल आशुलेखन की गति का वरन् मुहावरेदार भाषा के ज्ञान का भी परीक्षण हो सके।

(ख) अंग्रेजी आशुलेखन तथा सामान्य अंग्रेजी हेतु एक परीक्षा ली जाएगी जो वैकल्पिक है। चयनित अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी जो हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में विहित मानक के अनुकूल पाए जाएंगे वे द्विभाषी भत्ता जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा, पाने के हकदार होंगे।

(ग) पद हेतु हिन्दी टंकण (अनिवार्य) एवं अंग्रेजी टंकण (वैकल्पिक) के परीक्षण हेतु 05 मिनट की अवधि में करने हेतु एक प्रश्नपत्र रखा जाएगा।

परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का विवरण निम्न प्रकार है :–

प्रश्न पत्र–1 सामान्य ज्ञान (अधिकतम अंक – 100) समय दो घंटे

प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। यह प्रश्न पत्र निम्नलिखित क्षेत्रों से होगा। यह प्रश्न पत्र स्नातक स्तर का होगा।

1. शब्द संक्षेप	10 अंक
2. प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक	10 अंक
3. इतिहास (प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के संदर्भ में)	10 अंक
4. विज्ञान	10 अंक
5. भूगोल (उ0प्र0 से सम्बन्धित)	06 अंक
भूगोल (भारत से सम्बन्धित)	04 अंक
6. भारतीय संविधान	10 अंक
7. खेल जगत	10 अंक
8. महत्वपूर्ण नगर, स्मारक एवं इमारतें (भारत के संदर्भ में)	10 अंक
9. महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं	10 अंक
10. अंक गणित (कक्षा 8 स्तरीय)	10 अंक

प्रश्न पत्र–2 सामान्य हिन्दी (अधिकतम अंक – 100) समय तीन घंटे

यह प्रश्न पत्र परम्परागत (निबन्धात्मक) प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र का क्षेत्र निम्नलिखित रूप में होगा।

1. अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश का शीर्षक	20 अंक
2. संक्षेपण	10 अंक
3. पत्र एवं कार्यालयीय विभिन्न पत्रों का आलेखन	10 अंक
4. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ तथा उनका प्रयोग	10 अंक
5. विभिन्न शब्दों का एक शब्द	10 अंक
6. वाक्यों का शुद्धीकरण	10 अंक
7. पर्यायवाची तथा विलोम शब्द	05 अंक
8. हिन्दी निबन्ध	25 अंक

प्रश्न पत्र–3 हिन्दी आशुलेखन (अधिकतम अंक – 135) विवरण प्रस्तर 'क' में देखें।

प्रश्न पत्र–4 हिन्दी टंकण (अधिकतम अंक – 15) विवरण प्रस्तर 'ग' में देखें।

हिन्दी टंकण परीक्षा में अभ्यर्थी को 25 शब्द प्रतिमिनट की गति प्राप्त करना आवश्यक होगा, इससे कम गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पद हेतु अर्ह नहीं माने जाएंगे। 25 शब्द प्रतिमिनट की गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 10 अंक दिया जाएगा तथा इससे अधिक गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 05 शब्द प्रतिमिनट की गति के लिए 01 अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। किन्तु इस प्रकार प्राप्त कुल अंक पूर्णांक 15 से अधिक नहीं होंगे।

अंक इस प्रकार है :–

गति	अंक
25–29	10 अंक
30–34	11 अंक
35–39	12 अंक
40–44	13 अंक
45–49	14 अंक
50 से अधिक	15 अंक

टंकण हेतु अभ्यर्थियों को 05 मिनट की अवधि में टाइप करने हेतु एक गद्यांश दिया जाएगा। उक्त गद्यांश को 05 मिनट से कम समय में टाइप कर लेने पर पुनः उक्त गद्यांश को टाइप करना होगा।

पद हेतु वैकल्पिक प्रश्न पत्र

प्रश्न पत्र–5 सामान्य अंग्रेजी (अधिकतम अंक–50) समय एक घंटा

वाक्य शुद्धिकरण	05 अंक
रिक्त स्थान की पूर्ति	05 अंक
अनुवाद हिन्दी से अंग्रेजी	10 अंक
अनुवाद अंग्रेजी से हिन्दी	10 अंक
अंग्रेजी निबन्ध	20 अंक

प्रश्न पत्र–6 अंग्रेजी आशुलेखन (अधिकतम अंक–135)

प्रश्न पत्र–7 अंग्रेजी टंकण (अधिकतम अंक–15)

इनके सम्बन्ध में विज्ञापन के प्रस्तर 'ख' एवं 'ग' में आवश्यक सूचना दी गई है।

नोट : प्रश्न पत्र प्रथम एवं द्वितीय में ऐसे प्रश्न होंगे जो एक स्नातक से अपेक्षित हैं।

प्रश्न पत्र–8 कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षाः अंक–100 समय 1½ घंटा (कम्प्यूटर टर्मिनल पर प्रायोगिक परीक्षा)

पाठ्यक्रम :–

1. Basic knowledge of working on windows and Linux operating system platforms on desktops and laptops with peripherals like Printer, microphone and speaker. (20)
2. Working knowledge of Word processing packages (Microsoft word, Open Office etc) (25)
3. Working knowledge of Spread Sheets (20)
4. Conversant in the use of world wide web and popular website (for Railway/Air Reservation, search engines like Google, information websites like wikipedia etc) (05)
5. Working knowledge of E-mailing (sending, sending with attachment, reading, saving, printing, maintaining address book etc.) (15)
6. Working knowledge of preparation of presentaions (power point, PDF etc.) with different styles and animations. (15)

सचिव